349

संख्याः–1942/XIV–1/2013–5(5)/2013

प्रेषक,

डॉ0 उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांकः 28, जनवरी, 2014

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–4802–03/नियो0/ पुनर्विनियोग/2013–14 दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में शासनादेश संख्या–660/XIV–1/2013–05(4)/2013 दिनांक 12 अप्रैल, 2013 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि में से संलग्न बी0एम0 प्रपत्रानुसार पुनर्विनियोग करते हुए ₹5,50,000/–(रूपये पांच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन तथा व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–96(NP)/XXVII-4/2013 दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–बी0एम0 प्रपत्र–9।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
सचिव।

क्रमशः

Release budget 2013-14

संख्याः– १७५२(1)/XIV–1/2013,तद्दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष/सचिव, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
6. निदेशक, एन0आइ0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

28.01.14

(यू0सी0 कबडवाल)

अपर सचिव।